

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
/ / अधिसूचना /

नया रायपुर दिनांक 18 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/(6) : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना के सरल क्रं. 6 वाष्यंत्र निरीक्षकालय छ.ग. की क्रमांक 6 के पश्चात नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएँ, सेवाएँ प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, जोड़ते हुए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रं.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
7.	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वॉयलर विनिर्माता (मिनुफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8.	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वॉयलर विनिर्माता (मिनुफैक्चरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना।	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
9.	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वॉयलर संस्थापनकर्ता (इरेक्टर) / दुर्लसीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन जारी करना	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
10.	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वॉयलर संस्थापनकर्ता (इरेक्टर) / दुर्लसीकर्ता (रिपेयरर) के रूप में अनुमोदन का नवीनीकरण करना।	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	संचालक, उद्योग संचालनालय	सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

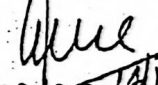
(व्ही.के. छबलानी)
विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

वाष्यंत्र निरीक्षकालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया

क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा(कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वाष्यंत्रों के पंजीयन हेतु निरीक्षण	30 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
2	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वाष्यंत्रों का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
3	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वाष्यंत्रों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव	02 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
4	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	दुर्घटना की स्थिति में अनुसंधान	15 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वैल्डर परीक्षा	30 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग
6	वाष्यंत्र निरीक्षकालय	वाष्यंत्रों का भाप परीक्षण	30 दिवस	निरीक्षक वाष्यंत्र	मुख्य निरीक्षक वाष्यंत्र	सचिव, छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.डी.सिंह)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग